

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

राँची

दिनांक :- 17-04-18

अधि.सं.-02/स्था.(पें.)-08-07/2017-1813/श्री शशि प्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, जिन्हें दिनांक 28.02.2017 को निलंबन की अवस्था में ही सेवानिवृत्त हो जाने के कारण वैचारिक रूप से निलंबन मुक्त किया गया, के पेंशनादि स्वीकृति की कार्यवाही हेतु मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, राँची के कार्यालय अंतर्गत सहायक अभियंता (प्रावैधिक) के रिक्त पद पर वैचारिक रूप से पदस्थापित किया जाता है।

2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

17-4-18

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

1813

राँची, दिनांक :-

17-04-18

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17-4-18

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।

ज्ञापांक :-

1813

राँची, दिनांक :-

17-04-18

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड राँची/विभागीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड राँची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ सभी मुख्य अभियंता/ संबंधित पदाधिकारी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री शशि प्रकाश, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, पता-N-2/8 Diamond Block वाटिका ग्रीन सिटी, मानगो, जमशेदपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17-4-18

(विश्वनाथ प्रसाद तांती)

सरकार के अवर सचिव (प्र.)।